

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-139

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

मन्नावरम परियोजना को स्थानान्तरित किया जाना

139. श्री टी.जी. वेंकटेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का ध्यान तिरुपति, आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाने वाली मन्नावरम परियोजना संबंधी मामले की ओर गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह सच है कि उक्त परियोजना को व्यवहार्यता के आधार पर स्थानान्तरित किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और रायलसीमा क्षेत्र के पिछड़ेपन के मद्देनजर इस परियोजना को जारी करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : वर्तमान में परियोजना स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, एनटीपीसी-भेल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लि. (एनबीपीपीएल), एनटीपीसी लि. तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (भेल) द्वारा परिवर्तित एक 50:50 के अनुपात में संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) जिसके आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मन्नावरम विनिर्माण सुविधाएं हैं, को प्रोत्साहित नहीं किया गया है और इस जेवीसी को वित्तीय वर्ष 2015-16 से हानि हो रही है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-141

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों को गैस की पर्याप्त आपूर्ति

141. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि विद्युत संयंत्रों को गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में सरकार की असमर्थता के कारण कई गैस-आधारित विद्युत संयंत्रों में काम ठप पड़ गया है;
- (ख) यदि हां, तो ठप/बंद पड़े गैस-आधारित विद्युत संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार ने इन विद्युत संयंत्रों को गैस-आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यापक योजना बनाई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : देश में घरेलू गैस की अनुपलब्धता के कारण कुल 14305 मेगावाट की गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता बंद पड़ी है। इन गैस आधारित विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडजी) ने बताया है कि विद्युत क्षेत्र को मौजूदा उत्पादन स्तर के अनुसार घरेलू प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जा रही है एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्युत क्षेत्र को घरेलू प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में सुधार भविष्य में उत्पादन स्तरों में वृद्धि के मामले में ही हो सकता है।

द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और प्राकृतिक गैस (एनर्जी) के आयात पर, यदि यह वैद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने अथवा ग्रिड को वैद्युत ऊर्जा आपूर्ति करने के व्यवसाय में लगे होने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 2(28) में यथापरिभाषित उत्पादक कंपनी द्वारा वैद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है, कोई सीमा शुल्क नहीं है। गैस आधारित विद्युत संयंत्र द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात करने, विद्युत उत्पादन करने और इसे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

राज्य सभा में दिनांक 11.12.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 141 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

स्टैंडेड गैस आधारित क्षमता (अखिल भारत)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य
1	गौतमी सीसीपीपी	पी	जीवीके गौतमी पावर लि.	464	आंध्र प्रदेश
2	जीएमआर - काकीनाडा (तनीरवावी)	पी	जीएमआर एनर्जी	220	आंध्र प्रदेश
3	जेगुरुपडू सीसीपीपी	पी	जीवीके इंडस्ट्रीज लि.	220.5	आंध्र प्रदेश
4	कोनासीमा सीसीपीपी	पी	कोनासीमा पावर	445	आंध्र प्रदेश
5	कोंडापल्ली एक्सटें. सीसीपीपी.	पी	लैंको पावर	366	आंध्र प्रदेश
6	वेमागिरी सीसीपीपी	पी	जीएमआर एनर्जी	370	आंध्र प्रदेश
7	श्रीबा इंडस्ट्रीज	पी	पीसीआईएल पावर एंड होल्डिंग्स लिमिटेड	30	आंध्र प्रदेश
8	आरवीके एनर्जी	पी	आरवीके एनर्जी	28	आंध्र प्रदेश
9	सिल्क रोड सुगर	पी	सिल्क रोड सुगर	35	आंध्र प्रदेश
10	एलवीएस पावर	पी	एलवीएस पावर	55	आंध्र प्रदेश
11	जीएमआर वेमागिरी एक्सपें.	पी	जीएमआर एनर्जी	768	आंध्र प्रदेश
12	कोंडापल्ली एक्सपें. स्टे.-III	पी	लैंको पावर	742	आंध्र प्रदेश
13	समलकोट एक्सपें.	पी	रिलायंस इंफ्रा	2400	आंध्र प्रदेश
14	पंडुरंगा द्वारा सीसीजीटी	पी	पंडुरंगा एनर्जी	116	आंध्र प्रदेश
15	प्रगति सीसीजीटी-III	एस	प्रगति पावर कारपोरेशन लि.	750	दिल्ली
16	रिठाला सीसीपीपी	पी	एनडीपीएल	108	दिल्ली
17	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	एस	गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी लि.	112	गुजरात
18	उतरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	एस	गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी लि.	374	गुजरात
19	पीपावाव सीसीपीपी	एस	जीएसपीसी पीपावाव पावर कंपनी लि.	702	गुजरात
20	धुवरन सीसीपीपी	एस	गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी लि.	376.3	गुजरात
21	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें.	एस	गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लि.	351	गुजरात

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य
22	वाटवा सीसीपीपी*	पी	टोरेट पावर	100	गुजरात
23	एस्सार सीसीपीपी	पी	एस्सार पावर	300	गुजरात
24	उनोसुजैन सीसीपीपी	पी	टोरेट पावर	382.5	गुजरात
25	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	पी	टोरेट पावर	1200	गुजरात
26	रत्नागिरी (आरजीपीपीएल-दभोल)	सी	एनटीपीसी	1967	महाराष्ट्र
27	पायोनीर गैस पावर लि. द्वारा सीसीजीटी	पी	पायोनीर गैस पावर लि.	388	महाराष्ट्र
28	आस्था द्वारा गैस इंजन	पी	आस्था पावर	35	तेलंगाना
29	काशीपुर श्रीवंथी स्टे.-I व II	पी	श्रीवंथी एनर्जी	450	उत्तराखंड
30	बेटा इंफ्राटेक सीसीजीटी	पी	बेटा इंफ्राटेक	225	उत्तराखंड
31	गामा इंफ्राप्रोप सीसीजीटी	पी	गामा इंफ्राप्रोप	225	उत्तराखंड
	कुल			14305	

सी: केंद्रीय क्षेत्र; एस: राज्य क्षेत्र; पी: निजी क्षेत्र;

* वाटवा सीसीपीपी 2015-16 में बंद हो गई।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-142

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

भारत में बिजली का औसत स्पॉट मूल्य

142. श्री ए. के. सेल्वाराजः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि भारत में बिजली का दैनिक औसत स्पॉट मूल्य लगभग दोगुना होकर 5 रुपए प्रति यूनिट के पास पहुंच गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि वर्तमान में लगभग 4,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता ऑफ गिड है; और
- (ग) क्या यह भी सच है कि इससे विद्युत आपूर्ति की कमी और बढ़ गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : पावर एक्सचेंज में विद्युत का मूल्य डे अहेड मार्केट में मार्केट क्लियरिंग प्राइस (एमसीपी) के अनुसार होता है। एमसीपी दिन के दौरान प्रत्येक 15 मिनट के 96 टाइम ब्लॉकों में तथा विद्युत की मांग आपूर्ति स्थिति पर निर्भर करते हुए प्रत्येक दिन में भी भिन्न होता है। चालू वर्ष 2018-19 (नवंबर, 2018 तक) के दौरान अक्टूबर, 2018 को छोड़कर, सभी महीनों में औसतन मासिक एमसीपी 5 रु. प्रति यूनिट से कम रही है। अक्टूबर, 2018 के माह में औसतन मासिक एमसीपी माह अक्टूबर, 2017 के दौरान 4.08 रु. प्रति यूनिट की तुलना में 5.94 रु. प्रति यूनिट था। इस प्रकार, इसमें लगभग 45.6% की वृद्धि हुई थी। माह नवंबर, 2018 के दौरान औसतन मासिक एमसीपी घटकर 3.59 रु. प्रति यूनिट हो गया है तथा नवंबर, 2017 के दौरान लगभग 3.55 रु. प्रति यूनिट के बराबर था अतः बाजार विद्युत मूल्य दोगुना नहीं हुआ है।

(ख) : उत्पादन केंद्रों में नियोजित अनुरक्षण, जबरन बंदी, कोयले की कमी, लाभार्थियों की निम्न सूची, जल की कम उपलब्धता इत्यादि के कारण बंदी हो जाती है। इन कारणों से सामान्यतः 4000 मेगावाट से अधिक की क्षमता बंदी में ही रह जाती है।

(ग) : जी, नहीं। वर्तमान में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए गिड में पर्याप्त उत्पादन क्षमता मौजूद है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-143

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी

143. डॉ. वी. मैत्रेयन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि अनेक ताप विद्युत संयंत्रों को गत वर्ष से पर्याप्त मात्रा में और गुणवत्तापूर्ण कोयला नहीं मिल पा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) देश में इस समय राज्य-वार कुल कितना ताप विद्युत का उत्पादन होता है;
- (ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु में ताप विद्युत इकाइयों की सहायता और विकास के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और
- (ङ) सरकार द्वारा देश के प्रमुख विद्युत उत्पादक राज्यों को लाभ और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदम कौन-कौन से हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है और विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार विद्युत उत्पादन एक लाइसेंस रहित गतिविधि है और कोई भी राज्य अथवा उत्पादन कंपनी व्यवहार्यता, ईंधन की उपलब्धता आदि जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विद्युत परियोजना की स्थापना कर सकती है। विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुपात में ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के माध्यम से की जाती है।

विगत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान संविदा की गई मात्रा की तुलना में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा कोयले की क्षेत्र-वार आपूर्ति इस प्रकार है:

क्षेत्र	2017-18			2018-19 (01 अप्रैल से 28 अक्टूबर तक)		
	संविदा की गई मात्रा (मिलियन टन)	आपूर्ति की गई मात्रा (मिलियन टन)	मूर्त रूप देना %	संविदा की गई मात्रा (मिलियन टन)	आपूर्ति की गई मात्रा (मिलियन टन)	मूर्त रूप देना %
केंद्र	202.6	185.9	92%	115.7	106.6	92%

राज्य	218.0	158.0	72%	118.9	94.2	79%
निजी (आईपीपी)	106.9	76.6	72%	73.5	52.5	71%
सभी क्षेत्र	527.5	420.5	80%	308.0	253.3	82%

यह देखा जा सकता है कि चालू वर्ष (28 अक्टूबर, 2018 तक) के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा कोयले की आपूर्ति वर्ष 2017-18 के दौरान 80% की तुलना में लगभग 82% है। विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और रेल मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में दैनिक आधार पर निगरानी किए जाने वाले विद्युत संयंत्रों में कोयले के स्टॉक की उपलब्धता दिनांक 19 अक्टूबर, 2017 को 7.3 मिलियन टन (एमटी) का न्यूनतम स्टॉक से बढ़कर दिनांक 04 दिसंबर, 2018 को 13.6 एमटी हो गई है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 05 दिसंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार, एनटीपीसी को भी अपने विद्युत स्टेशनों के लिए कोयले की 5.41 लाख मिलियन टन (एलएमटी) की मांग की तुलना में 5.52 एलएमटी और अपने संयुक्त उद्यम स्टेशनों के लिए 0.66 एलएमटी की मांग की तुलना में 0.63 एलएमटी कोयला 85% पीएलएफ पर प्राप्त हुआ। एनटीपीसी के विद्युत स्टेशनों के लिए कोयला स्टॉक की उपलब्धता भी औसतन 8.3 दिन (0 से 25.7 दिन तक परिवर्तनीय) और इसके संयुक्त उद्यम स्टेशनों के लिए 3.1 दिन (1.62 से 6.4 दिन तक परिवर्तनीय) के लिए उपलब्ध है। तथापि, इनमें से कुछ स्टेशनों में विभिन्न कारणों से कोयले का स्टॉक बहुत कम है।

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 5501 मिलियन यूनिट के कुल उत्पादन और अप्रैल-नवंबर, 2018 के दौरान कुल 8207 मिलियन यूनिट के उत्पादन की हानि हुई है।

(ख) : अक्टूबर, 2018 माह के दौरान देश में राज्यवार थर्मल विद्युत उत्पादन (25 मेगावाट और उससे अधिक की क्षमता) तथा अप्रैल से अक्टूबर, 2018 तक संचयी उत्पादन **अनुबंध-1** में संलग्न है।

(ग) से (ड) : भारत सरकार ने देश में ताप विद्युत संयंत्रों को कोयला लिंकेज उपलब्ध कराने के लिए 'भारत में कोयले का उपयोग एवं पादरशी आवंटन स्कीम' (शक्ति)-2017 नामक एक नई कोयला लिंकेज नीति अधिसूचित की है। शक्ति नीति के पैरा ख (i) के अनुसार, सीआईएल/एससीसीएल विद्युत मंत्रालय की अनुशंसा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार जेनको को अधिसूचित मूल्य पर कोयला लिंकेज प्रदान करते हैं। तदनुसार, तमिलनाडु के निम्नलिखित टैनजेडको ताप विद्युत संयंत्रों ने, जो निर्माणाधीन हैं, शक्ति नीति के पैरा ख (i) के तहत कोयला लिंकेज के लिए आवेदन किया है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता
01.	एनसीटीपीपी चरण-III	1X800 मेगावाट
02.	एन्नौर टीपीएस एक्सपेंशन	1X660 मेगावाट
03.	एन्नौर एसईजेड एसटीपीपी	2X660 मेगावाट
04.	उप्पुर सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट	2X800 मेगावाट
05.	उदानगुडी एसटीपीपी चरण-I	2X660 मेगावाट
	कुल	5700 मेगावाट

राज्य सभा में दिनांक 11.12.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 143 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अक्टूबर, 2018 तथा अप्रैल-अक्टूबर, 2018 माह के दौरान ताप विद्युत उत्पादन का राज्य-वार और ईंधन-वार ब्यौरा			
राज्य	ईंधन प्रकार	उत्पादन (एमयू)*	
		अक्टूबर, 2018	अप्रैल-अक्टूबर, 2018
अंडमान निकोबार	डीजल	11.16	88.59
आंध्र प्रदेश	कोयला	4572.24	33851.4
	डीजल	0	0
असम	प्राकृतिक गैस	517.35	2945.26
	कोयला	174.2	1649.14
	बहु ईंधन	0	0
बिहार	प्राकृतिक गैस	228.15	1374.64
	कोयला	2814.64	17800.18
	कोयला	10482.2	69317.71
छत्तीसगढ़	कोयला	121.52	1400.37
	प्राकृतिक गैस	604.86	3794.1
गोवा	नापथा	0	0
गुजरात	कोयला	7264.07	40649.26
	लिग्नाइट	570.59	3568.49
	बहु ईंधन	0	0
हरियाणा	प्राकृतिक गैस	1646.41	8947.48
	कोयला	2060.34	14515.52
	प्राकृतिक गैस	8.35	268.12
जम्मू और कश्मीर	हाई स्पीड डीजल	0	0
झारखंड	कोयला	2241.18	16369.58
	नापथा	0	0
कर्नाटक	कोयला	3195.84	15953.71
	डीजल	0	0
	प्राकृतिक गैस	0	0
केरल	डीजल	0.32	1.35
	नापथा	0	0
मध्य प्रदेश	कोयला	10437.28	67801.72
	कोयला	10369.06	66425.64
महाराष्ट्र	प्राकृतिक गैस	732.95	4971.73
	डीजल	0	0
मणिपुर	डीजल	0	0
ओडिशा	कोयला	3041.53	23000.28
पुडुचेरी	प्राकृतिक गैस	22.37	148.1
पंजाब	कोयला	2643.31	16623.89
	कोयला	4050	21223
	लिग्नाइट	785.56	4917.21
राजस्थान	प्राकृतिक गैस	252.06	1021.92
	कोयला	4291.97	27720.02
	डीजल	0	0
तमिलनाडु	लिग्नाइट	1786.62	11122.12
	नापथा	0	0.05
	प्राकृतिक गैस	250.07	1658.56
तेलंगाना	कोयला	4196.74	27984.87
त्रिपुरा	प्राकृतिक गैस	598.98	3652.78
उत्तर प्रदेश	कोयला	10722.09	71125.66
	प्राकृतिक गैस	500.44	1439.84
उत्तराखंड	प्राकृतिक गैस	199.54	768.4
पश्चिम बंगाल	कोयला	5963.82	42866.92
	हाई स्पीड डीजल	0	0
सकल जोड़		97357.81	626967.61

टिप्पणी

* वास्तविक सह मूल्यांकन पर आधारित अनंतिम

- केवल 25 मेगावाट और उनसे अधिक के परंपरागत स्रोतों (ताप विद्युत, जल विद्युत और नाभिकीय) से सकल उत्पादन
- एमयू=मिलियन यूनिट

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-144

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है।

राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम

144. श्री नारायण राणे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में एक राष्ट्रीय 'स्ट्रीट-लाइट' कार्यक्रम (एसएलएनपी) प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान में यह कार्यक्रम केवल कुछ राज्यों में ही कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्यों को कब तक शामिल किया जाएगा, और इसके लिए निर्धारित लक्ष्यों एवं अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : जी हाँ। 1.34 करोड़ परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को मार्च, 2019 तक स्मार्ट तथा ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लक्ष्य से माननीय प्रधानमंत्री ने 05 जनवरी, 2015 को स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) की शुरुआत की थी। यह कार्यक्रम विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

आज की तारीख के अनुसार, ईईएसएल ने 73.98 लाख से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगा दी हैं। इससे 828 मेगावाट की बचत करने योग्य व्यस्ततम मांग के साथ 4.96 बिलियन किलोवाट घंटा प्रति वर्ष की अनुमानित ऊर्जा बचत तथा प्रति वर्ष जीएचजी उत्सर्जन में 3.42 मिलियन टन CO₂ की अनुमानित कमी हुई है।

(ग) और (घ) : एसएलएनपी एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है और इसका कार्यान्वयन किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा ईईएसएल के साथ कार्यान्वयन करार हस्ताक्षरित करने पर आधारित है। एसएलएनपी को 13 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र के सभी यूएलबी में कार्यान्वित किया गया है (अनुबंध-I)। 11 अन्य राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में कुछ यूएलबी, जिन्होंने ईईएसएल के साथ कार्यान्वयन करार हस्ताक्षरित किया है, में कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है (अनुबंध-II)। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय नामक 5 राज्यों में तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों नामतः दमन एवं दीव, दादर व नागर हवेली तथा लक्षद्वीप में एसएलएनपी कार्यान्वित नहीं किया गया है।

एसएलएनपी के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 11.12.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 144 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची जहां सभी यूएलबी में एसएलनीपी कार्यान्वित किया गया है

क्रम सं.	राज्य	30.11.2018 तक संस्थापित एलईडी स्ट्रीट लाइटों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	20,18,116
2.	बिहार	1,26,722
3.	छत्तीसगढ़	3,47,251
4.	गोवा	2,06,790
5.	गुजरात	8,82,847
6.	हिमाचल प्रदेश	52,404
7.	झारखंड	93,742
8.	महाराष्ट्र	1,25,899
9.	ओडिशा	2,59,463
10.	राजस्थान	9,57,758
11.	तेलंगाना	8,15,918
12.	त्रिपुरा	75,376
13.	उत्तर प्रदेश	7,54,638
14.	चंडीगढ़	41,942

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 11.12.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 144 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची जहां कुछ यूएलबी, जिन्होंने ईईएसएल के साथ कार्यान्वयन करार हस्ताक्षरित किया है, में कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है

क्रम सं.	राज्य	30.11.2018 तक संस्थापित एलईडी स्ट्रीट लाइटों की संख्या
1.	असम	23,651
2.	हरियाणा	61,500
3.	जम्मू-कश्मीर	11,991
4.	कर्नाटक	9,882
5.	केरल	38,301
6.	मध्य प्रदेश	80,545
7.	पंजाब	41,388
8.	सिक्किम	868
9.	तमिलनाडु	6,689
10.	उत्तराखंड	30,619
11.	पश्चिम बंगाल	15,307
12.	दिल्ली	3,05,082
13.	अंडमान और निकोबार	13,500
14.	पुडुचेरी	450

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-145

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण

145. श्री के. सी. राममूर्ति:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने हाल ही में दावा किया है कि देश में सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि इस दावे के विपरीत लगभग 3.14 करोड़ ग्रामीण घर अभी तक बिजली से वंचित हैं और इनमें से अधिकांश गांव बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड, ओडिशा आदि में हैं;
- (ग) क्या मंत्रालय ने इस वर्ष दिसम्बर तक प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचाने का निर्णय लिया है; और
- (घ) यदि हां, तो परियोजना के कार्यान्वयन हेतु तैयार किए गए खाके का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितना धन व्यय किया जाएगा?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 28.04.2018 की स्थिति के अनुसार सम्पूर्ण देश में सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव विद्युतीकृत कर दिये गये थे।

(ख) से (घ) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में 21.72 करोड़ घर हैं, जिनमें से 27.11.2018 तक 20.74 करोड़ घर विद्युतीकृत कर दिए गए हैं और शेष 0.97 करोड़ घरों को मार्च, 2019 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है। गैर-विद्युतीकृत घरों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

भारत सरकार ने मार्च, 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी तथा विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराके सभी घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना-‘सौभाग्य’ शुरू की है। सौभाग्य के अंतर्गत, भारत सरकार राज्यों को 60% (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 85%) अनुदान के रूप में निधियां देती है और यदि लक्ष्य पूरे किए जाते हैं तो अतिरिक्त अनुदान के रूप में 15% (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 5%) निधियां देती है। सौभाग्य के अंतर्गत, 13526 करोड़ रुपए की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्य रूप से ग्रामीण विद्युतीकरण की आवश्यक अवसंरचना के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत 42,676.67 करोड़ रुपए की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं।

राज्य सभा में दिनांक 11.12.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 145 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सौभाग्य: घर विद्युतीकरण का राज्य-वार ब्यौरा

27.11.2018 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	राज्य	शेष गैर-विद्युतीकृत घर
1	अरुणाचल प्रदेश	77,963
2	असम	9,79,570
3	छत्तीसगढ़	48,394
4	हरियाणा	11,926
5	हिमाचल प्रदेश	7,327
6	झारखंड	5,48,941
7	कर्नाटक	2,48,407
8	महाराष्ट्र	3,330
9	मणिपुर	6,771
10	मेघालय	1,35,543
11	नागालैंड	78,338
12	ओडिशा	5,35,264
13	राजस्थान	6,23,264
14	सिक्किम	6,674
15	त्रिपुरा	2,174
16	उत्तर प्रदेश	64,32,448
17	उत्तराखंड	4,860
	कुल	97,51,194

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-146

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

एन टी पी सी की विद्युत क्षमता का संवर्धन

146. श्री एन. गोकुलकृष्णन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एन टी पी सी ने हाल ही में 4750 मेगावाट की नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं के लिए निविदाएं प्रस्तुत की हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसमें से 2000 मेगावाट पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए है जबकि शेष क्षमता सौर आधारित होगी; और

(ग) क्या यह भी सच है कि ये परियोजनाएं एन टी पी सी की नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो को काफी हद तक बढ़ाएंगी जिसमें 870 मेगावाट सौर तथा 50 मेगावाट पवन विद्युत परियोजनाएं हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : वर्तमान में, नवीकरणीय विद्युत के लिए एनटीपीसी की संस्थापित क्षमता 928 मेगावाट (870 मेगावाट सोलर, 50 मेगावाट पवन तथा 08 मेगावाट लघु जल विद्युत) है। इसके अतिरिक्त, ईपीसी मोड (एनटीपीसी के स्वामित्व में) के अंतर्गत सोलर परियोजनाओं की 678 मेगावाट क्षमता निविदा के विभिन्न चरणों में है। इस प्रकार, एनटीपीसी की कुल नवीकरणीय विद्युत क्षमता बढ़कर 1606 मेगावाट (1548 मेगावाट सोलर, 50 मेगावाट पवन तथा 08 मेगावाट लघु जल विद्युत) हो जाएगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त, एनटीपीसी ने विकासकर्ता मोड के अंतर्गत दिनांक 16.10.2018 तथा 17.10.2018 को पवन और सोलर ऊर्जा की 3150 मेगावाट (1150 मेगावाट पवन तथा 2000 मेगावाट सोलर) की परियोजनाओं का ठेका दिया है। इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी ने दिनांक 10.11.2018 को 1200 मेगावाट की सोलर परियोजनाओं के लिए टेंडर भी जारी किए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-147

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

स्मार्ट प्री-पेड मीटर

147. श्री देरेक ओब्राईन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सभी इलैक्ट्रिक मीटरों को स्मार्ट प्री-पेड इलैक्ट्रिक मीटरों में बदलने की अंतिम तारीख क्या है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) स्मार्ट प्री-पेड इलैक्ट्रिक मीटरों को अधिप्राप्त करने के लिए कुल कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : प्रत्येक उपभोक्ता के लिए मीटर लगाने का उत्तरदायित्व राज्य वितरण यूटिलिटीयों का है। विद्युत मंत्रालय ने अगस्त, 2018 में आगामी 3 वर्षों की अवधि में प्रीपेड मोड/सिम्पल प्रीपेड मीटरों को स्मार्ट मीटरों में बदलने के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु सभी डिस्कॉमों को परामर्शी जारी की है।

(ख) : एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के तहत भारत सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) में अच्छा निष्पादन करने वाले 12 राज्यों के लिए 4151453 स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 834 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त, नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) के तहत स्मार्ट ग्रिड कार्यन्वयन हेतु 990 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है जिसमें स्मार्ट मीटर लगाने का प्रावधान है और जिसे प्रीपेड मोड में भी प्रयोग किया जा सकता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-148

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

भारत में ऊर्जा संकट

148. श्री डी. राजा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में मौजूदा ऊर्जा संकट की जानकारी है जहां विद्युत उत्पादक हजारों मेगावाट की क्षमताओं का पूर्ण दोहन नहीं कर रहे हैं और दिवालियापन संबंधी कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, जबकि उपभोक्ता बिजली कटौती तथा बिजली चली जाने की समस्या का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो विद्युत उत्पादकों के सामने पेश आ रही प्रमुख समस्याएं कौन-कौन सी हैं और इस समस्या का समाधान करने के लिए किए जा रहे उपचारात्मक उपाय कौन-कौन से हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चालू वर्ष के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	ऊर्जा मांग (एमयू)	आपूर्ति ऊर्जा (एमयू)	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा (%)	व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	पूरी की गई व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	पूरी नहीं की गई मांग (%)
अप्रैल, 2018 - अक्टूबर, 2018	769,399	764,627	0.6	177,022	175,528	0.8

यह देखा जा सकता है कि ऊर्जा की मांग और व्यस्ततम मांग अधिकांशतः पूरी की गई है।

(क) : सरकार ने वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार 34 संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की है। सरकार ने विद्युत क्षेत्र में संकट के प्रमुख कारण अभिचिन्हित किए हैं जो निम्नानुसार हैं:

- कोयला आपूर्ति से संबंधित मुद्दे
- विद्युत मांग में मंद वृद्धि

- डिस्कॉमों द्वारा विलंबित भुगतान
- इक्विटी और सर्विस ऋण देने के लिए प्रवर्तकों की अक्षमता
- विकासकर्ता द्वारा परियोजना का मंद कार्यान्वयन
- बैंकों/वित्तीय संस्थानों से संबंधित मुद्दे
- प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत अधिक प्रशुल्क
- विनियामक एवं संविदागत विवाद
- कोयला खान नीलामी से संबंधित कानूनी मुद्दे
- भूमि अधिग्रहण में विलंब, अपर्याप्त पारेषण प्रणाली आदि जैसे अन्य प्रचालनात्मक मुद्दे

(ख) : भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र में संकट से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

I. शक्ति के अंतर्गत ईंधन लिंकेज: सरकार ने 17 मई, 2018 को शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला (कोल) ट्रांसपेरेन्टली इन इंडिया) नामक नई कोयला लिंकेज आबंटन नीति अनुमोदित की है। इस स्कीम के अंतर्गत 12 सितंबर, 2017 को घरेलू कोयले पर आधारित पीपीए वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी की। जिन आईपीपी के पास पीपीए है, परंतु कोयला लिंकेज नहीं है, ने नीलामी में भाग लिया है और कुल 8,490 मेगावाट क्षमता की 5 संकटग्रस्त परियोजनाओं सहित 11,549 मेगावाट क्षमता (10 परियोजनाएं) के लिए लिंकेज मंजूर किए गए हैं और इन परियोजनाओं का समाधान कर दिया गया है। शक्ति स्कीम के प्रावधान ख(i) के तहत, 10 परियोजनाओं के लिए 8,870 मेगावाट के लिए राज्यों/केंद्रीय उत्पादन कंपनियों को लिंकेज मंजूर किए गए हैं।

II. 2500 मेगावाट विद्युत के प्रापण के लिए प्रायोगिक परियोजना; देश में विद्युत क्रय करारों (पीपीए) के अभाव की समस्या का समाधान करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने मुक्त क्षमतावाली चालू परियोजनाओं वाले उत्पादकों से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिस्पर्धी के आधार पर 2500 मेगावाट विद्युत प्रापण की एक स्कीम अधिसूचित की है। इस स्कीम के तहत, पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड ने 2500 मेगावाट विद्युत के लिए बोलियां आमंत्रित की जिसमें पीटीसी इंडिया लिमिटेड ने विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु समूहक के रूप में कार्य करेगा और इस विद्युत को राज्य यूटिलिटीयों को बेचेगा। कुल 1900 मेगावाट विद्युत के लिए सात परियोजनाओं से निविदाएं प्राप्त हुईं। सभी सफल बोली लगाने वालों (1900 मेगावाट) को स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी कर दिए गए हैं। यह विद्युत परियोजनाओं की वित्तीय क्षमता में काफी सुधार करेगा और ऋण अदायगी में विकासकर्ताओं की सहायता करेगा।

III. कोयला मूल्यवृद्धि सूचकांक का औचित्यीकरण; औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा प्रकाशित कोयला मूल्यवृद्धि सूचकांक में विसंगतियों के कारण उत्पाद कम वसूली का सामना कर रहे थे। अब सीईआरसी ने इन विसंगतियों को दूर करने और गैर-कोकिंग कोयला (जी7-जी14) के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की नई शृंखला अंगीकृत करने के लिए वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत प्रापण की बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ निर्धारण के लिए दिशा-निर्देशों में दिनांक 01 जून, 2018 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया है। सीईआरसी की नई अधिसूचना के आधार पर 01 अप्रैल, 2017 से उत्पादक गैर-कोकिंग कोयला (जी7-जी14) के थोक मूल्य सूचकांक की नई शृंखला के आधार पर परिकल्पित संशोधित टैरिफ के पात्र होंगे। इससे मुख्य रूप से विद्युत उत्पादकों की देयताओं की कम वसूली के मुद्दों को हल किया जाएगा।

IV. नए पर्यावरण मानकों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लागत प्रभाव; विद्युत मंत्रालय ने 30 मई, 2018 को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 107 के तहत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) को यह स्पष्ट करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए कि बोली की स्वीकृति अथवा पीपीए पर हस्ताक्षर के बाद, जैसा भी मामला हो, नए पर्यावरण मानकों को पूरा करने के लिए विभिन्न उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना अथवा उननयन करने के कारण अतिरिक्त लागत प्रभाव और इनकी प्रचालन लागत को टैरिफ में पास-थ्रू बनाने पर विचार किया जाएगा

V. सरकार द्वारा लगाए गए घरेलू शुल्क, लेवी, उपकर और करों में किसी भी बदलाव के पास-थ्रू की अनुमति; टैरिफ नीति, 2006 में प्रावधान है कि बोली की स्वीकृति के बाद केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा लगाए गए घरेलू शुल्क, लेवी, उपकर और करों में किसी भी बदलाव को, जिसके परिणामस्वरूप लागत में समरूपी बदलाव हो, पीपीए के उपबंधों एवं उपयुक्त आयोग के अनुमोदन के अध्यक्षीन कानून में संशोधन माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने याचिका दायर करने के 30 दिनों के भीतर कानून में ऐसे बदलाव के प्रति यूनिट प्रभाव के समयबद्ध निर्धारण के लिए सीईआरसी को दिनांक 27 अगस्त, 2018 के पत्र के माध्यम से जारी किए हैं। विद्युत मंत्रालय के निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि कानून में ऐसे परिवर्तन का प्रभाव कानून में परिवर्तन की तारीख से प्रभावी होगा और सीईआरसी का किसी एक मामले में आदेश सभी समान मामलों में "स्वतः" लागू हो जाएगा।

VI. डिस्कॉम भुगतान निगरानी एवं प्राप्ति; डिस्कॉमों द्वारा भुगतान प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा एक नया एप प्राप्ति (विद्युत उत्पादकों के इनवॉयसिंग में पारदर्शिता लाने के लिए विद्युत प्रापण में भुगतान अनुसमर्थन एवं विश्लेषण) शुरू किया गया है। विद्युत उत्पादकों को पोर्टल में उनके इनवॉयसिंग एवं भुगतान के आंकड़े फीड करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है।

VII. विद्युत उत्पादन की लागत कम करने के लिए किए गए उपाय; विद्युत उत्पादन की लागत में कमी से अधिक विद्युत खरीद के लिए डिस्कॉमों की क्षमता में सुधार की संभावना होती है और इस प्रकार विद्युत उत्पादकों की अधिक मांग पैदा होती है। सरकार ने विद्युत उत्पादन की लागत कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जो इस प्रकार हैं:

क. केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर) द्वारा तीसरे पक्ष द्वारा नमूना लेने की शुरुआत: सरकार ने विद्युत उत्पादकों को सीआईएल से कोयला आपूर्ति के लदान एवं उतराई दोनों स्थानों पर तीसरे पक्ष द्वारा कोयला के नमूने लेना शुरू किया है। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किए गए कोयला की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार हुआ है। कोयला की गुणवत्ता में सुधार और संयंत्रों की दक्षता में सुधार के कारण, कोयला आधारित थर्मल विद्युत संयंत्रों में द्वारा विशिष्ट कोयला खपत में औसतन 6-8 प्रतिशत की कमी आई है।

ख. कोयला लिंकेज का औचित्यीकरण: कोयला की परिवहन लागत को इष्टतम करने के लिए कोयला लिंकेज को औचित्यीकरण किया गया है और इस प्रकार विद्युत उत्पादन की लागत में कमी आई है। घरेलू कोयला के लचीले उपयोग के परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में पर्याप्त बचाव हुई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-149

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2018 को दिया जाना है ।

आबद्ध विद्युत उत्पादकों को कोयला आपूर्ति

149. श्री महेश पोद्दार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या आबद्ध विद्युत उत्पादकों को कोल इंडिया द्वारा कोयले की एक नियत प्रतिशतता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, यदि हां, तो कितने प्रतिशत कोयले की आपूर्ति की जानी है;
- (ख) क्या गत तीन वर्षों में आबद्ध विद्युत उत्पादकों को कोयले की यह नियत प्रतिशतता की आपूर्ति की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार ने आबद्ध विद्युत उत्पादकों को अबाधित कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : कोयला मंत्रालय द्वारा "गैर-विनियमित क्षेत्र के लिए लिंकेज नीलामी नीति" के अंतर्गत लिंकेज की अनुमति नीलामी के माध्यम से दी जाती है तथा इसकी आपूर्तियां ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के अंतर्गत की जाती हैं। प्रत्येक उप-क्षेत्र अर्थात् स्पंज आयरन, सीमेंट, कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट्स, अन्य, स्टील (कोकिंग) एवं अन्य (कोकिंग) के लिए अलग नीलामी की जाती है। इस नीति में लिंकेज नीलामी में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर हुए वृद्धि संबंधी उत्पादन के 25% सहित पूरे होने वाले एफएसए के अनुरूप मात्रा प्रदान की जाती है।

कैप्टिव पावर संयंत्रों सहित गैर-विनियमित क्षेत्र के लिए एफएसए के संबंध में आपूर्तियों की प्रतिशतता निर्धारित नहीं होती है। तथापि, निर्धारित स्तर से कम की आपूर्ति/लिफ्टिंग के लिए पारस्परिक प्रवर्तनीय दंडात्मक उपधारा का प्रावधान है।

गत तीन वर्षों के लिए सीआईएल से कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति किया गया कुल कोयला इस प्रकार है:

वर्ष	एसीक्यू (मिलियन टन में)	कैप्टिव संयंत्रों को कुल आपूर्ति (मिलियन टन में)	मैट %
2015-16	43.4	34.67	80%
2016-17	46.8	30.75	66%
2017-18	57.5	38.97	68%

(ग) : कोयला आधारित विद्युत उत्पादन में विगत वर्ष के संबद्ध महीनों में अक्टूबर, 2018 में 11.2% की वृद्धि तथा नवंबर, 2018 में 6.3% की वृद्धि देखी गई है। अप्रैल-नवंबर, 2018 की अवधि के दौरान विगत वर्ष की इस अवधि में वृद्धि 5.5% रही है। विद्युत यूटिलिटियों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए प्रेषण को प्राथमिकता दी गई थी।

विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले की बढ़ती आपूर्ति से अन्य सभी क्षेत्र, जिसमें सीपीपी सहित विशेषकर रेल मार्ग के माध्यम से कोयले का भेजा जाना प्रभावित हुआ। तथापि, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) गैर-विनियमित क्षेत्र सीपीपी सहित के लिए विंडो प्रदान की है जिसमें रोड मोड के माध्यम से परिवर्तन द्वारा अपने लंबित रेलवे रैक्स के लिए कोयला प्राप्त करें तथा/अथवा अपनी देय पात्रता की मात्रा को रोड मोड द्वारा बुक करके अपनी कोयले की आवश्यकता को पूरा करें।

सीपीपी सहित गैर-विनियमित क्षेत्र के लिए रेल मोड के माध्यम से कोयले की आवाजाही में अक्टूबर, 2018 में 8.3 रैक्स प्रतिदिन के स्तर की तुलना में, बढ़कर नवंबर, 2018 के दूसरे पखवाड़े के दौरान 16.1 रैक्स प्रतिदिन तक हो गई है।
